International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232
Received: 26-04-2022, Accepted: 14-05-2022, Published: 27-05-2022
Volume 8, Issue 3, 2022, Page No. 14-18

जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम 2021: एक समीक्षात्मक अध्ययन

सुभाष भिमराव दोंदे
डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी पुणे संलग्न, किर्ती कॉलेज, दादर (प.) मुंबई, महाराष्ट्र, भारत

सारांश
1992 के जैव विविधता सम्मेलन के तहत अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को ध्यान में रखते हुए, भारत में जैव विविधता अधिनियम–2002 अधिनियमित किया गया; जो जैव विविधता के संरक्षण, इसके संधारणीय उपयोग और जैविक संसाधनों तथा तत्सम्बन्धी पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित या निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्यों पर बनाया गया था। भारतीय चिकित्सा व्यवसायियों, बीज क्षेत्र, उद्योग और शोधकर्ताओं पर भारी अनुपालन बोझ लादकर इस अधिनियम ने सहयोगपूर्ण अनुसंधान और विदेशी निवेश को दुष्कर बना दिया था। किन्तु दो दशक उपरांत अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन ने भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने के लिए आवश्यक अनुसंधान और पेटेंट आवेदन प्रक्रियाओं में अधिक विदेशी निवेश को शीघ्रपथ करने निर्बन्धों को शिथिल किया है। इसके अलावा यह अधिनियम पंजीकृत आयुष चिकित्सकों और संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने वाले लोगों को जैविक संसाधनों तक पहुँचने के लिए संबधित निकायों को पूर्व सूचना देने से छूट देने का प्रावधान रखता है। 2002 के पूर्ववर्ती अधिनियम के तहत, पर्यावरण तथा संबंधित अधिकारों के खिलाफ सभी उल्लंघनों को आपराधिक (क्रिमिनल) माना जाता था; किन्तु संशोधित अधिनियम में ऐसे उल्लंघनों को केवल नागरिक (सिव्हिल) अपराधों में बदल देने का प्रस्ताव रखा है। संशोधित विधेयक जैव विविधता के संरक्षण और समुदायों के अधिकारों की मान्यता के बारे में कम लगता है; जो इस जैव विविधता के संरक्षक हैं और जो अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य है। वर्तमान स्वरूप में विधेयक 'जैव–डकैती' का मार्ग प्रशस्त करेगा और इस प्रकार उस मूल उद्देश्य को ही विफल कर दिया जाएगा जिसके लिए अधिनियम को पहली जगह में बनाया गया था। संक्षिप्त में ऐसा प्रतीत होता है की प्रस्तावित संशोधन यह जैव विविधता के परिरक्षण के बजाय व्यापारीकरण या वाणिज्यीकरण एवं दोहन तथा स्थानिक समुदायों के शोषण को बढ़ावा देगा। इस पृष्ठभूमि में प्रस्तुत अनुसंधान लेख जैव विविधता संबंधी – पूर्ववर्ती तथा संशोधित अधिनियम के कुछ पहलुओं का समीक्षात्मक अध्ययन है।

मूल शब्दः जैव विविधता, जैविक संसाधन, पारंपरिक ज्ञान, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जन जैव विविधता पंजियाँ, आयुष

प्रस्तावना
पारिस्थितिक तंत्र के सुचारू कार्य के लिए जैव–विविधता बहुत महत्वपूर्ण है; जो हमें ऑक्सीजन, भोजन, अलवण या मिठा जल, उपजाऊ मिट्टी और ईंधन जैसे विभिन्न उत्पाद प्रदान करती है, इसके अलावा तूफान का परिमितकरण और जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को कम करना जैसी पारिस्थितिक सेवाएं जो मानव सहित लाखों प्रजातियों का पृथ्वी पर जीवित रहना संभव बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आययुसीएन) के अनुसार, 47,677 में से 17,291 प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा है। 5,490 में से 79 स्तनधारी प्रजातियाँ 'विलुप्त' हैं, जिनमें 188 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' या विलुप्तप्रायः है, 449 संकटग्रस्त और 505 असुरक्षित या सुभेद्य हैं। उभयचरों की 6,285 प्रजातियों में से कुल 1,895 के विलुप्त होने का खतरा है। आययुसीएन की एक रिपोर्ट के अनुसार, 1970 और 2000 के बीच प्रजातियों की आधिक्य में 40 प्रतिशत की गिरावट आई है। प्रजातियों के विलुप्त होने के साथ–साथ आवासों को नष्ट किया जा रहा है, विकास के लिए भूमि को अंधाधुंध रूप से परिवर्तित किया जा रहा है; जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के साथ साथ आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रसार भी तेजी से हो रहा है है। वर्ष 2000 से सालाना छह मिलियन हेक्टेयर जंगल खो गया है। विश्व के 25 में से दो महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट– पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर हिमालय भारत में है; जिसकी वजह से भारत 16 अन्य मेगा–जैव विविधता वाले देशों के साथ है, जहाँ दुनिया की 7–8 प्रतिशत प्रजातियों के पायी जाती है।
5 जून 1992 को, भारत ने रियो डी जनेरियो में जैविक विविधता सम्मेलन (सीबीडी) पर हस्ताक्षर किए; जो हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी प्रबंधन और संरक्षण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। जैव विविधता सम्मेलन के तीन मुख्य उद्देश्य है– जैव विविधता का संरक्षण, जैव संसाधनों का संधारणीय उपयोग और इनसे होने वाले लाभों का देशज या स्थानिक समुदायों में उचित या निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारा। चूंकि सीबीडी के तहत जैव–सुरक्षा (बायोसेफ्टी) एक प्रमुख चिंता थी, इसलिए सन 2000 में जैव–सुरक्षा संबंधी कार्टाजेना क्रमाचार या प्रोटोकॉल को भी अपनाया गया। यह प्रोटोकॉल जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए न्यूनतम संभावित जोखिम प्रदान करता है। भारत ने 2001 में कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए और 2003 में इसकी पुष्टि की। सीबीडी के तहत भारत के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को ध्यान में रखते हुए, दस साल बाद, जैव विविधता को संरक्षित करने एवं इसके संधारणीय उपयोग का प्रबंधन करने और स्थानीय समुदायों के साथ जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित या निष्पक्ष और न्यायसंगत सहभाजन को सक्षम करने के लिए 2002 में जैविक विविधता अधिनियम बनाया गया । अक्टूबर 2010 में नागोया में आयोजित सीबीडी की दसवीं बैठक में जैविक विविधता (नागोया प्रोटोकॉल) पर उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभों के उचित या निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारे पर नागोया प्रोटोकॉल को

अपनाया गया था। प्रोटोकॉल का उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों के प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए अधिक कानूनी निश्चितता और पारदर्शिता प्रदान करना है। यह देशज या मूल निवासी और स्थानीय समुदायों द्वारा जतन किये गए पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच पर भी विचार करता है जब यह आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ा होता है और इन समुदायों की अपने ज्ञान के उपयोग से लाभ उठाने की क्षमता को मजबूत करता है। भारत ने 2012 में इस प्रोटोकॉल की पुष्टि की।

भारत में पर्यावरण कानूनों की पूरी सूची में, जैव विविधता अधिनियम, 2002 जैसा शायद ही कोई कानून है; जिसका पिछले दो दशकों में सबसे कम उपयोग किया गया है; जो शायद ही कभी पर्यावरण समूहों द्वारा अच्छी तरह से समझा और लागू किया है। एक ऐसा कानून जो जैव विविधता पर स्थानीय नियंत्रण प्रदान करता है और पारंपरिक ज्ञान को पहचानकर उसकी रक्षा करता है। इसके अलावा जैव विविधता विरासत स्थलों के निर्माण के लिए प्रदान करता है और पारिस्थितिक रूप से विनाशकारी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन को अनिवार्य करता है। इसके कार्यान्वयन के लिए, अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए), राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसएसबी) और स्थानीय निकाय स्तरों पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) से मिलकर एक त्रिस्तरीय संरचना की मांग करता है। बीएमसी की प्राथमिक जिम्मेदारी स्थानीय जैव विविधता और संबंधित ज्ञान को पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर) के रूप में दस्तावेज करना है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है और जिसे पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए 2003 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा भारत भर में 29 राज्यों में राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) बनाए गए हैं।

विशेषज्ञों की राय है कि जैविक विविधता अधिनियम को लागू नहीं करने से देश को सालाना कम से कम 30,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है, जिसमें जैव–संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग के लिए अभिगम या पहुंच और लाभ साझा करने का प्रावधान है। यहाँ तक कि चेन्नई में स्थित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) मुख्यालय को विदेशी कंपनियों से सालाना लगभग 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है क्योंकि दिशानिर्देश ठीक से लागू नहीं होते हैं। यदि यह धनराशी अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त किया गया होता, तो इसका उपयोग वनों, वन्यजीवों, पारिस्थितिक तंत्र और अन्य जैव–संसाधनों के संरक्षण के लिए किया जा सकता था। चूंकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिनियम को लागू करने के लिए प्राधिकारी है, इसलिए यह देखना चाहिए कि अधिनियम के प्रावधानों को जैव विविधता के संरक्षण और संधारणीय प्रबंधन के लिए बिना किसी देरी के लागू किया जाता है।

जन जैव विविधता पंजियाँ (पीबीआर) का निर्माण इस 2002 अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। जैसा कि पारिस्थितिक विज्ञानी माधव गाडगिल द्वारा परिभाषित किया गया है, पीबीआर लोगों के ज्ञान और अनुभव द्वारा सद्यस्थिती, उपयोग, इतिहास, चल रहे परिवर्तनों और इन परिवर्तनों को चलाने वाली ताकतों के बारे में लोगों के ज्ञान को उनके अपने इलाकों में जैविक विविधता संसाधन अंकित करने का प्रयास करते हैं। हालांकि, अधिनियम के लागू होने के इतने साल बाद भी, पीबीआर अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं। ये रजिस्टर पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट के लिए एक प्रभावी प्रत्युत्तर या प्रतिवाद के रूप में कार्य कर सकते हैं; जिसे खनन, बांध, उष्मीय बिजली संयंत्र, बंदरगाहों, हवाई अड्डों जैसे विकासश परियोजनाओं को चालू करने से पहले तैयार किया जाना है। जबकि ये परियोजनाएं जीवन–निर्वाह पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं; उनके जैव विविधता से संबंधित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआयए) रिपोर्ट विशेष रूप से कमजोर होते हैं, जिससे कई प्रासंगिक मुद्दे विचार से बाहर हो जाते हैं।

उदाहरण के लिए, अरुणाचल प्रदेश की न्यामजंग छू जलविद्युत परियोजना के लिए ईआईए ने यह उल्लेख नहीं किया कि परियोजना स्थल वास्तव में काली गर्दन वाली सारस (क्रेन) का शीतकालीन स्थल था, जिसे स्थानीय मोनपा जनजाति द्वारा पवित्र माना जाता है और जो भारत के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित है। दिसंबर 2015 में तीन साल बाद पक्षी के लौट जाने के बाद ही मोनपा समुदाय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के सामने निर्विवाद फोटोग्राफिक सबूत पेश कर सका। एक अन्य उदाहरण में, हिमाचल के किन्नौर जिले के आदिवासी समुदाय बचे हुए अंतिम चिलगोजा पाइन नट्स को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र के लिए स्थानिक प्रजाति है और प्रस्तावित काशांग एकीकृत जलविद्युत परियोजना की वजह से खतरे में है। स्थानीय लोगों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करने में न तो ईआईए और न ही वन विभाग ने चिलगोजा पाइन नट्स की महत्वपूर्ण भूमिका का दस्तावेजीकरण किया है। इसी तरह, उत्तरी गोवा में पेरनेम तालुका के मोपा पठार में होने जा रहे प्रस्तावित ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए ईआईए ने महत्वपूर्ण पारिस्थितिक विशेषताओं जैसे कि वन, आर्द्रभूमि, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों, वनस्पतियों और पश्चिमी घाट के जीवों की उपस्थिति का जानबूझकर उल्लेख नहीं किया है।

हालांकि अधिनियम के अधिनियमन के लगभग दो दशक बीत चुके हैं, राज्यों के अधिकांश स्थानीय निकायों ने जन जैव विविधता पंजीयाँ तैयार नहीं किया है, जिन्हें एक क्षेत्र के जैविक संसाधनों जैसे पौधों, जानवरों और स्थानीय लोगों का पारंपरिक ज्ञान को बुनियादी रिकॉर्ड माना जाता है। कई राज्यों के पंचायतों, नगर पालिकाओं और निगमों में स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन अनिर्णीत है, जिससे जैव–संसाधनों के जन जैव विविधता पंजी तैयार करने में देरी हो रही है। स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) का प्रमुख कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से जन जैव विविधता पंजी तैयारी करना है. इस पंजी में स्थानीय जैव विविधता संसाधनों की उपलब्धता और जानकारी के साथ–साथ उनके औषधीय अथवा अन्य उपयोग के बारे में पारंपरिक ज्ञान के रूप में व्यापक सूचना अंकित होगी।

पीबीआर की अनुपस्थिति में, जब अधिनियम को लागू नहीं किया जाता है, जैव विविधता की वास्तविक स्थिति को रिकॉर्ड किए बिना विभिन्न परियोजनाओं के लिए जो भी पर्यावरणीय मंजूरी दी जाती है, उसके परिणामस्वरूप पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट अतार्किक और अमान्य हो जाती है।चूंकि पिछले दो दशकों से देश में जैविक विविधता अधिनियम को उचित महत्व नहीं दिया गया है, इसलिए भारत के कई हिस्सों में वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा गौण हो गई है, जिससे पानी की कमी और मानव–पशु संघर्ष की वारदातों में बढ़ोतरी हो गयी है। विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि 15 राज्यों में फैले 3 प्रतिशत से भी कम स्थानीय निकायों ने 2018 तक पीबीआर तैयार किए थे। केरल 978 ग्राम पंचायतों, 60 नगर

पालिकाओं और पांच नगर निगमों में जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (बीएमसी) बनाने वाला पहला राज्य था और पीबीआर की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। इस तरह से केरल राज्य ने वास्तविक पहल दिखाई, जिसमें राज्य के जैव–संसाधनों की रक्षा और संरक्षण की दृष्टि से सभी प्रक्रियाओं का सफलतापूर्वक पालन किया गया।

परिकल्पना

जैव विविधता और इससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए तथा जैविक संसाधनों के संधारणीय उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का स्थानिक समुदायों में निष्पक्ष और न्यायसंगत सहभाजन के लिए दो दशक पूर्व अधिनियमित कानून का प्रस्तावित संशोधन यह जैव विविधता के परिरक्षण की बजाय व्यापारीकरण एवं दोहन तथा स्थानिक समुदायों के शोषण को बढ़ावा देता है।

क्रियाविधि

प्रस्तुत लेख गुणात्मक विषय–वस्तु विश्लेषण के दायरे में असंरचित और गैर–संख्यात्मक डेटा पर निर्भर रहकर समस्या के सटीक स्वरूप को हल करने के लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों एवं अनुसंधान कर्ताओं के संदर्भ सूचीबद्ध प्राथमिक एवं प्रकाशित साहित्य या डेटा का समीक्षात्मक अध्ययन है।

विचार विमर्श

2016 की दिव्य फार्मेसी की रिट (समादेश) याचिका में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड उचित और न्यायसंगत लाभ साझाकरण' (एफइबीएस) के के तहत 'अभिगम (पहुंच) और लाभ साझा करना' (एबीएस) शुल्क की मांग नहीं कर सकता, क्योंकि बोर्ड के पास न तो अधिकार हैं और न ही ऐसा करने का क्षेत्राधिकार और, दूसरी बात, याचिकाकर्ता, किसी भी मामले में, एफइबीएस के शीर्ष के तहत किसी भी राशि का भुगतान करने या किसी भी प्रकार का योगदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। हालांकि, माननीय न्यायालय ने कहा कि राज्य जैव विविधता बोर्ड को अधिनियम की धारा 23 के साथ पठित धारा 7 के तहत दिए गए अपने वैधानिक कार्य को देखते हुए याचिकाकर्ता से उचित और न्यायसंगत लाभ साझा करने की मांग करने की अधिकार प्राप्त हैं और एनबीए को अधिनियम की धारा 21 के तहत आवश्यक विनियम गठन करने का अधिकार प्राप्त हैं। विनियमों की वैधता के प्रति याचिकाकर्ता की चुनौती विफल हो जाती है। इस माननीय न्यायालय ने माना कि जैविक संसाधनों तक पहुंच और संबद्ध ज्ञान और लाभ साझाकरण विनियम, 2014 के दिशा–निर्देशों के विनियम 2, 3 और 4 केवल स्पष्ट करते हैं और अधिनियम में क्या है और यह प्राधिकार के अधीन है। 2018 में, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इसी ऐतिहासिक फैसले में कहा कि जैविक संसाधन निश्चित रूप से एक राष्ट्र की संपत्ति हैं जहां वे भौगोलिक रूप से स्थित हैं, लेकिन ये एक तरीकेसे संपत्ति भी हैं– स्वदेशी और स्थानीय समुदायों की, जिन्होंने इसे सदियों से संरक्षित किया है। फैसले में कहा गया है कि स्वदेशी और स्थानीय समुदाय, जो या तो श्जैविक संसाधन' विकसित करते हैं, या इन संसाधनों का पारंपरिक ज्ञान रखते हैं, अधिनियम के तहत लाभार्थी हैं।

पर्यावरण मंत्रालय के जैविक विविधता अधिनियम, 2002 में प्रस्तावित संशोधन भारत के जैविक संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उनके वाणिज्यीकरण की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है, और इन संसाधनों पर निर्भर लोगों के पारंपरिक ज्ञान और अधिकारों को खोखला कर सकता है। प्रस्तावित संशोधन मूल अधिनियम द्वारा जैव संसाधनों के उपयोग और पहुंच के लिए संस्थागत जिम्मेदारी या निगरानी की संरचना को कमजोर करने का प्रयास करता है। 2021 का संशोधन 'जैविक विविधता' जैसे शब्दों को 'जैविक संसाधनों' और 'ज्ञान के धारकोंश के साथ 'सहयोगी पारंपरिक ज्ञान के धारकों' के साथ प्रतिस्थापित करना चाहता है। जहां 'जैविक विविधता' प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के एक जटिल वेब को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर, 'जैविक संसाधन', जैव विविधता की एक कटौतीवादी या न्यूनतावादी, पंक्तिरूप समझ को दर्शाता है, जो कि शोषण और मुनाफाखोरी के लिए है। इस बात का डर है कि कैसे संहिताबद्ध ज्ञान की व्याख्या कार्यान्वयन में और कानून की अदालत में चुनौती दी जाएगी?

संशोधन विधेयक जैव विविधता के संरक्षण और समुदायों के अधिकारों की मान्यता के बारे में कम लगता है; जो इस जैव विविधता के संरक्षक हैं और जो अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य है। किन्तु जैविक संसाधनों को और अधिक सुलभ कैसे बनाया जाए, विशेष रूप से वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए, जैसे निगमों के बारे में अधिक लगता है। संशोधन एक सदमें के रूप में आया क्योंकि कभी–कभी या अक्सर, एक निरंतर अभियान रहा है, जिसने 2002 के जैव विविधता अधिनियम में बदलाव की मांग की है ताकि इसे नागोया प्रोटोकॉल के अनुरूप बनाया जा सके और यह सुनिश्चित करना कि लाभ के बंटवारे के मामले में स्थानीय स्तर पर बेहतर समानता होगी। लेकिन जो आया वह इसके ठीक विपरीत था – जिसने 2002 के अधिनियम को और भी कम न्यायसंगत बनाने की मांग की और इससे जैव–विविधता समितियों की अधिकार कम हो गये है।

संशोधन विधेयक बीएमसी और केंद्रीय/राज्य जैव विविधता समितियों जैसे संस्थागत ढांचे को व्यापक रूप से कमजोर करने और एनबीए को प्राथमिकता एवं सर्वाधिकार देने का प्रयास करता है। संशोधन में कहा गया है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्रतिनिधित्व जैव विविधता प्रबंधन समिति'' उचित या निष्पक्ष और न्यायसंगत लाभ साझा करने का निर्धारण करेगी। इस तरह के कमजोर करने से बीएमसी की निगरानी से समझौता हो जाएगा। इस कमजोर पड़ने का लाभ निजी निगमों को मिलेगा, जिनमें (बहु–राष्ट्रीय निगम) शामिल हैं, और विशेष रूप से आयुष (आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, और होम्योपैथी) उद्योगों में शामिल हैं। 2002 के मूल अधिनियम में कुछ श्रेणियों के लोगों एवं कॉर्पोरेट निकायों के लिए जैविक संसाधनों तक पहुँचने के लिए एनबीए से पूर्व स्वीकृति या समर्थन की आवश्यकता थी, जिसमें वे लोग शामिल थे जो भारत के नागरिक नहीं हैं और ऐसे निकाय जो भारत में पंजीकृत या निगमित नहीं हैं, संक्षिप्त में अनिवार्य रूप से किसी भी प्रकार की 'विदेशी उपस्थिति'। लेकिन संशोधन इसे 'विदेशी नियंत्रित कंपनी' तक

सीमित कर देता है जो भारत के बाहर निगमित है, जिसका अर्थ है कि भारत में निगमित या पंजीकृत किसी भी कंपनी को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। संशोधित अधिनियम में परिभाषाओं को इस तरह बदल दिया है कि भारतीय भागीदारों के साथ गठजोड़ के माध्यम से, अब विदेशी संगठनों को संसाधनों तक पहुंच प्राप्त हो सकती है । इन प्रावधानों से जैव–डकैती (बायो–पायरेसी) के लिए अधिक संभावनाएं पैदा होने की संभावना है। ये पहले से ही कमजोर थे और संशोधन उपरान्त और भी कमजोर हो गए हैं। जैव–डकैती तब होती है जब कोई संगठन या शोधकर्ता वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए बिना अनुमति या आधिकारिक स्वीकृति के स्वदेशी जैविक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जो अक्सर लोगों के पारंपरिक ज्ञान पर आधारित होते हैं। इससे उन संस्कृतियों का दोहन होता है जिन्होंने एक लंबे अरसे से किसी अद्भुत या अद्वितीय जैव–संसाधन तैयार किए हैं। उदाहरण के तौर पर अमरिकी व्यापारिक कंपनीयों द्वारा भारत में लंबे समय से उपयोग में आने वाले उत्पादों, जैसे नीम, बासमती चावल, हल्दी और दार्जिलिंग चाय पर पेटेंट प्राप्त करने के प्रयास किये हैं। बौद्धिक संपदा अधिकारों, विशेष रूप से पेटेंट के लिए आवेदन करते समय 2002 अधिनियम में द्वारपाल या गेटकीपिंग का कार्य था। लेकिन, संशोधन के तहत, विदेशी हितधारकों के साथ भारतीय कंपनियों के लिए एनबीए की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, जैव–डकैती के मामले में, यह स्थापित करने के लिए एक कार्योत्तर (पोस्ट फैक्टो) संघर्ष बन जाता है कि जैव–डकैती हुई, और अगर डकैती या चोरी की समस्या सामने आती है।

विशेषज्ञों ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि परामर्श प्रक्रिया के बिना नए संशोधन को कैसे मंजूरी दी गई? उद्देश्यों और कारणों के बयान में, मंत्रालय का कहना है कि संशोधन हितधारकों की चिंताओं के परिणामस्वरूप आया, जिसमें भारतीय चिकित्सा प्रणाली, बीज, उद्योग और अनुसंधान क्षेत्र शामिल हैं। अनुपालन बोझ को सरल, सुव्यवस्थित और कम करने का आग्रह सहयोगात्मक अनुसंधान और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण को प्रोत्साहित करने और पेटेंट प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए था। दिसंबर 2021 में वन और पर्यावरण के लिए कानूनी पहल द्वारा संशोधन के प्रारंभिक मूल्यांकन में उल्लेख किया गया था कि विधेयक को पूर्व–वैधानिक सलाहकार नीति, 2014 के तहत आवश्यक सार्वजनिक टिप्पणियों की मांग किए बिना संबंधित मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। संशोधन मूल रूप से आयुष उद्योग और बीज उद्योग से आने वाले सुझाव से प्रेरित थे। यह जल्दबाजी में लिए गए फैसलों का एक उदाहरण है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नजर–अंदाज करते हुए जानबूझकर उन लोगों से परामर्श करना नही चाहता जो इस संशोधन से अत्यधिक प्रभावित होंगे। मुख्य रूप से आयुष और बीज उद्योग के प्रतिनिधियों से परामर्श पर संशोधित विधेयक की सभी पूर्व–प्रक्रियाओं और विभिन्न समितियों का गठन किया गया था।

भारत में पर्यावरण न्याय के लिए गठबंधन के एक बयान के अनुसार, संशोधन, जैविक विविधता अधिनियम, 2002 को मौजूदा पर्यावरण न्यायशास्त्र से बाहर निकालने का प्रयास करता है, जो कि एक छतरी कानून पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत शासित है। 2002 के अधिनियम के तहत, पर्यावरण और संबंधित अधिकारों के खिलाफ सभी अपराधों को आपराधिक (क्रिमिनल) माना जाता है।

यदि कोई व्यक्ति, नियामक प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे एक अवधि के लिए कारावास, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो दस लाख रुपये तक हो सकता है और जहां नुकसान दस लाख रुपये से अधिक है, वहाँ जुर्माना हुई क्षति के साथ आनुपातिक तौर पर दंडनीय होगा। इस अधिनियम के तहत कोई भी अपराध गैर–जमानती है और संज्ञेय है। नए विधेयक के माध्यम से, मंत्रालय ने जैव विविधता अधिनियम के ऐसे उल्लंघनों को केवल नागरिक (सिव्हिल) अपराधों में कम करने का प्रस्ताव किया है।

उपसंहार

यह घरेलू अधिनियम 'अभिगम (पहुंच) और लाभ साझा करना' (एबीएस) पर 2010 के नोगोया प्रोटोकॉल की पूर्व सूचित सहमति आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता। हालांकि, यह एक मौका चूक गया है क्योंकि प्रस्तावित संशोधन जैव विविधता प्रबंधन समितियों को अधिकारहीन कर रहे हैं। उनकी अधिकारों को नहीं बढ़ाया गया है, और प्रस्तावित संशोधन राज्य जैव विविधता बोर्डों को लाभ साझा करने की शर्तों को निर्धारित करने के लिए बीएमसी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देते हैं। जब की जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत, राष्ट्रीय और राज्य जैव विविधता बोर्डों को जैविक संसाधनों के उपयोग से संबंधित कोई भी निर्णय लेते समय प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों से परामर्श करना आवश्यक है।

भारत में न्यायिक सक्रियतावाद का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार से है, जब वे अधिनियमों की धारा या उप–धारा को असंवैधानिक और व्यर्थ घोषित करते है यदि वे उल्लंघन करते हैं या यदि संशोधित अधिनियम एक या अधिक संवैधानिक खंडों के साथ या वैश्विक समझौतों या प्रोटोकॉल के साथ असंगत है। अब समय आ गया है कि सर्वोच्च न्यायपालिका संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा करते हुए जैव विविधता के स्थायी और न्यायसंगत शासन पर न्यायशास्त्र विकसित करने के लिए कदम उठाए।

अभिस्वीकृति

प्रस्तुत अनुसंधान लेख भारतिय पर्यावरण एवं जैव विविधता क्षेत्र के अग्रणी अनुसंधानकर्ता एवं नीति निर्माता तथा डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी पुणे संचालित फर्ग्यूसन कॉलेज के सबसे प्रख्यात भूतपूर्व विद्यार्थी पद्मभूषण डॉ माधव धनंजय गाडगीळजी को उनके 80 वे जन्मदिन पर उनके लंबी उम्र की कामना के साथ श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

संदर्भ सूची

1. बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी एक्ट 2002 विकिपीडिया

2. सुंदरराजु व्ही. (2019) इम्पलीमेंट दी बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी एक्ट इन इट्स ट्रू स्पिरिट डावूनटूअर्थ.ऑर्ग https://www.downtoearth.org.in/blog/wildlife-biodiversity/implement/the-biological-diversity-act-in-its-true-spirit-63322
3. टंडन मृधु (2020) इंडियाज बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी एक्ट फाइनली शोज प्रोग्रेस ड्यू टू नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मोंगाबे.कॉम https://india-mongabay.com/2020/06/commentary-indias-biological-diversity-act-finally-shows-progress-due-to-ngt/
4. पेरिंचेरी आथिरा (2021) प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू बायोडायव्हर्सिटी एक्ट इस अ ट्रोजन हॉर्स फ़ॉर बिझनेस सेंटर दीवायर. कॉम https://science-thewire-in/politics/rights/proposed-amendment-biological-diversity-act-trojan-horse-ayush-businesses-centre/
5. नंदी जयश्री (2021) व्हाय लीगल एक्सपट्र्स आर कॉन्सर्न्ड अबाउट दी बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 दी हिंदुस्तान टाईम्स https://www-google.com/amp/s/www.hindustantimes.com/india-news/why-legal-eÛperts-are-concerned-about-the-biological-diversity-amendment-bill-2021-101639759979049-amp-html
6. लोपेज फ्लेविया (2022) बायोडायव्हर्सिटी एक्ट अमेन्डमेंट्स शिफ्ट फोकस फ्रॉम कॉंझेर्वेशन टू कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन इंडियास्पेंड.कॉम https://www.google.com/amp/s/www.indiaspend.com/amp/earthcheck/biodiversity-act-amendments-shift-focus-from-conservation-to-commercial-eÛploitation-eÛperts-802693
7. जैन भारती (2022) ट्वेंटी इयर्स ऑफ बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी एक्टः जर्नी सो फार एंड दी वे फॉरवर्ड दीआयपीप्रेस.कॉम https://www.theippress.com/2022/01/24/20-years-of-the-biological-diversity-act-2002-journey-so-far-and-the-way-forward/